

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(अनुभाग-1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2018

दिनांक:-15.09.2020

—: आज्ञा :-

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.09.2019 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध आज दिनांक 15.09.2020 से दिनांक 31.10.2020 तक हटाया जाता है।

परंतु इस अवधि में निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाये :-

1. राज्य में कोविड-19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये स्थानान्तरण के लिये आवेदक का प्रार्थना-पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जावेगा। इस बाबत कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप उपस्थित नहीं होगा। और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।
2. इस अवधि में किये जाने वाले स्थानान्तरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता की पूर्ण पालना की जावेगी। यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

www.rajteachers.com

  
15.9.2020

(अरुण प्रकाश शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण